भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2755

(जिसका उत्तर मंगलवार, 20 मार्च, 2018 को दिया गया)

महाराष्ट्र में कारपोरेट सामाजिक उत्तर दायित्व के रूप में धनराशि का खर्च किया जाना

2755. श्रीमती वंदना चव्हाण :

क्या **कारपोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों की कंपनियां कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) के रूप में अपने लाभ का कुछ प्रतिशत आवश्यक रूप से कल्याण विकास गतिविधियों पर खर्च करती है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की विभिन्न कंपनियों द्वारा उपयोग की गई धनराशि और उनके द्वारा चलाई गई बड़ी गतिविधियों/कार्यक्रमों का महाराष्ट्र सहित राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने सीएसआर के प्रभावी कार्यान्वयन पर जोर दिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार ने सीएसआर निधियों का समुचित उपयोग सुनिश्चित करने और इनके तहत चलाई गई गतिविधियों की निगरानी करने के लिए कोई समिति/प्राधिकरण का गठन किया है?

उत्तर

विधि और न्याय एवं कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. पी. चौधरी)

(क) और (ख): कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') की धारा 135 के अनुसार निर्धारित ऊपरी सीमा से अधिक कारोबार, या निवल मूल्य, या निवल लाभ वाली प्रत्येक कंपनी द्वारा तत्काल पूर्ववर्ती तीन वित्त वर्षों के दौरान अर्जित औसत निवल लाभ का कम से कम दो प्रतिशत, अधिनियम की अनुसूची-VII में विहित कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) कार्यकलापों पर खर्च करना अनिवार्य है। वर्ष 2014-15, 2015-16 और 2016-17 के लिए एमसीए-21 रजिस्ट्री में 30.11.2017 तक कंपनियों द्वारा की गई फाइलिंग के अनुसार, पब्लिक और प्राइवेट कंपनियों द्वारा सीएसआर पर खर्च की गई राशि का ब्यौरा निम्नलिखित तालिका में दिया गया है।

तीन वित्त वर्षों के लिए सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों और प्राइवेट क्षेत्र की कंपनियों द्वारा किया गया सीएसआर व्यय

क्र. सं.	कंपनी का प्रकार	वित्त वर्ष 2014-15 (करोड़ रुपये में)	वित्त वर्ष 2015-16 (करोड़ रुपये में)	वित्त वर्ष 2016-17 (करोड़ रुपये में)
1.	पीएसयू	2673.85	4163.09	1325.83
2.	प्राइवेट क्षेत्र की कंपनियां	6890.92	9664.77	3393.17
	कुल	9564.77	13827.86	4719.00

सीएसआर व्यय रिपोर्ट करने वाली कंपनियों द्वारा राज्य/संघ शासित क्षेत्र वार (महाराष्ट्र सहित) सीएसआर व्यय और विकास क्षेत्र वार सीएसआर खर्च का ब्यौरा क्रमशः अनुलग्नक-I और अनुलग्नक-II में दिया गया है।

(ग): मंत्रालय ने कंपनियों और व्यावसायिकों द्वारा सीएसआर प्रावधानों के प्रभावी कार्यान्वयन में मदद करने के लिए दिनांक 18.06.2014 और 12.01.2016 को क्रमशः स्पष्टीकरण परिपत्र और अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) जारी किए हैं। मंत्रालय ने सीएसआर प्रावधानों के प्रभावी अनुपालन के लिए कारपोरेट को जागरूक

करने हेतु देशभर में कार्यशालाओं का आयोजन भी किया है और दिनांक 19.01.2018 को राष्ट्रीय सीएसआर डाटा पोर्टल की शुरूआत की है।

(घ): जी, नहीं।

*****

अनुलग्नक-I

राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2755 के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

वित्तीय वर्ष 2014-15, 2015-16 और 2016-17 के दौरान किए गए सीएसआर व्यय का राज्य/संघ शासित क्षेत्र-वार विवरण

सीएसआर व्यय (करोड़ रुपये में)				
क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	2014-15	2015-16	2016-17
1	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	0.29	0.54	0.07
2	आन्ध्र प्रदेश	403.91	1,220.54	101.69
3	अरुणाचल प्रदेश	11.03	1.49	7.98
4	असम	133.07	166.81	38.28
5	बिहार	36.20	108.15	36.90
6	चंडीगढ़	1.73	5.08	4.17
7	छत्तीसगढ़	158.89	236.22	14.85
8	दादर एवं नगर हवेली	2.54	12.03	1.65
9	दमन एवं दीव	20.05	2.13	0.83
10	दिल्ली	214.24	468.18	229.87
11	गोवा	26.60	30.25	10.54
12	गुजरात	296.53	550.98	152.04
13	हरियाणा	176.29	364.22	107.87
14	हिमाचल प्रदेश	9.30	51.71	10.57
15	जम्मू और कश्मीर	40.57	103.02	27.83
16	झारखंड	75.86	115.70	24.24
17	कर्नाटक	382.79	730.64	202.71
18	केरल	64.30	129.24	50.94
19	लक्ष्यद्वीप	0.00	0.30	0.00
20	मध्य प्रदेश	137.15	178.94	213.48
21	महाराष्ट्र	1,372.34	1,810.45	702.37
22	मणिपुर	1.57	5.93	6.03
23	मेघालय	3.52	3.86	2.99
24	मिजोरम	1.03	1.08	0.08
25	नागालैंड	1.11	0.95	0.45
26	ओडीशा	249.50	604.26	191.43
27	पुदुचेरी	1.81	6.31	3.71
28	पंजाब	53.86	68.17	20.17
29	राजस्थान	271.36	472.46	84.99
30	सिक्किम	1.03	1.90	2.12
31	तमिलनाडु	498.89	597.60	202.53
32	तेलंगाना	94.89	248.57	64.56
33	त्रिपुरा	1.16	1.47	0.60
34	उत्तर प्रदेश	138.64	406.93	120.34

35	उत्तराखंड	69.99	71.50	30.74
36	पश्चिम बंगाल	178.61	399.89	121.12
37	समस्त भारत*	4,434.12	4,650.39	1,928.26
	कुल योग	**9,564.77**	**13,827.86**	**4,719.00**

*कंपनियों ने या तो राज्यों का नाम नहीं बताया है या एक से अधिक राज्य का उल्लेख किया है जहां परियोजनाएं शुरू की गईं।

*****

अनुलग्नक-II

राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2755 के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

वित्त वर्ष 2014-15, 2015-16 और 2016-17 के लिए क्षेत्र-वार सीएसआर व्यय

सीएसआर व्यय (करोड़ रुपये में)				
क्र.सं.	**क्षेत्र**	**2014-15**	**2015-16**	**2016-17**
1	स्वास्थ्य/भूखमरी, गरीबी और कुपोषण का निवारण/ सुरक्षित पीने का पानी/स्वच्छता	2,382.27	4,330.21	1,201.37
2	शिक्षा/विक्लांगजन/जीविका	3,021.47	4,689.81	1,605.05
3	ग्रामीण विकास	1,031.02	1,327.57	628.56
4	पर्यावरण/पशु कल्याण/संसाधनों का संरक्षण	812.31	901.80	306.68
5	स्वच्छ भारत कोष	94.52	323.24	89.35
6	अन्य कोई निधि	272.58	322.63	137.70
7	लैंगिक समानता/महिला सशक्तिकरण/वृद्धाश्रम/ असमानता हटाना	172.63	331.50	122.60
8	प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत निधि	211.04	206.08	109.81
9	खेलों को प्रोत्साहन	53.36	134.76	51.73
10	विरासत कला और संस्कृति	113.62	114.90	49.64
11	स्लम विकास क्षेत्र	101.07	13.60	1.97
12	निर्मल गंगा निधि	4.64	32.52	22.97
13	अन्य क्षेत्र (सशस्त्र सेनाओं को प्रौद्योगिकी इनक्यूबेटर और लाभ, प्रशासनिक ऊपरी खर्च तथा अन्य*)	1,294.24	1,099.24	391.57
	कुल (करोड़ रुपये में)	**9,564.77**	**13,827.86**	**4,719.00**

*निर्दिष्ट नहीं किया गया है।

*****